रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 19 जून, 2004/29 ज्येष्ठ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 जून, 2004

संख्या आई० पी० एच० (ए) (बी) (2)-20/2002.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी० बी० डब्ल्यू० (एस०सी०) सी (ए) 3-1/94, तारीख 29-1-2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) वर्ग-III (अराजपत्रित) तकनीकी सेवायें भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) वर्ग-III (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं, भर्ती एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2004 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध-"क" का संशोधन.—स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:—

(i) 42% सीधी भर्ती द्वारा सम्बन्धित भर्ती अभिकरण के माध्यम से;

(ii) 22% सीधी भर्ती द्वारा विभागीय स्तर पर बैच-वाईज आधार पर;

(iii) 21% उन अभ्यर्थियों में से, जो संविदा के आधार पर विभाग द्वारा उचित प्रक्रिया अपनाते हुए नियुक्त किये गये हैं/थे और जिनका मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान में अपेक्षित व्यावसायिक अर्हता के साथ हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में 7 वर्ष की निरन्तर संविदा सेवाकाल हो, नियुक्ति द्वारा, यदि संविदा सेवा के दौरान उनका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया गया हो,

परन्तु यह कि इस उप-खण्ड के अधीन नियुक्ति के प्रयोजन के लिए वर्षवार संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी जिसमें ऐसे नियुक्ति वर्ष के बैच में वरिष्ठ अभ्यर्थी को उस अभ्यर्थी से उपर रखा जाएगा जिसमें पश्चात्वर्ती बैच में सिविल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हो :

परन्तु यह और कि जहां किसी नियुक्ति वर्ष में एक ही बैच के एक से अधिक अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु विचार में लाए जाने के पात्र हों तो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को यथास्थिति, उनकी उस वर्ष की नियुक्ति की तारीख या संविदा के आधार पर भर्ती के लिए चयन करते समय तैयार की गई मैरिट यदि कोई हो, के आधार पर अवधारित की जाएगी। परन्तु यह और भी कि इस उप-खण्ड के अधीन इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले कनिष्ठ अभियन्ताओं को कठिन क्षेत्र उप-संवर्ग में प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

(iv) 15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

2. स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात:—

निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा:—

(i) सर्वेयरों जिनके पास केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल इन्जीनियरिंग के ट्रेड में कम से कम 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा हो या इसके समतुल्य हो, सहित 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके संयुक्त नियमित सेवाकाल हो . 3%

(ii) सर्वेयर जिन्होंने केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या संस्थान से सर्वेयर/प्रारूपकारिता (सिविल) के ट्रेड में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण-पत्र कोर्स रखने के साथ कम से कम 8 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके संयुक्त नियमित सेवाकाल हो .. 6%

(iii) कार्य निरीक्षक जिन्होंने केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से 3 वर्ष की अवधि का सिविल इन्जीनियरिंग के ट्रेड का डिप्लोमा किया हो या इसके समतुल्य हो के साथ कम से कम 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में लगातार की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके संयुक्त नियमित सेवाकाल हो .. 1%

(iv) कार्य निरीक्षक जिन्होंने केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेयर/प्रारूपकारिता (सिविल) के ट्रेड में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण-पत्र कोर्स रखने के साथ कम से कम 8 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके संयुक्त नियमित सेवाकाल हो .. 1%

(v) कार्य निरीक्षक जो दसवीं या इसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हतायें रखने के साथ जिनका कम से कम 15 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो को सम्मिलित करके संयुक्त नियमित सेवाकाल हो तथा जिन्होंने 6 माह की अवधि का विहित विभागीय प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो .. 4%

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित 100 बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जायेगा :—

(1) 1% बिन्दु नं0 1 (कार्य निरीक्षक जो सर्वेयर/प्रारूपकारिता (सिविल) में आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र रखते हो) ।

(2) 1% बिन्दु नं0 49 (कार्य निरीक्षक जो सिविल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा रखते हो) ।

(3) 3% बिन्दु नं0 33, 66, 99 (सर्वेयर जो सिविल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा रखते हो) ।

(4) 4% बिन्दु नं0 25, 50, 75, 100 (दसवीं पास कार्य निरीक्षक जिन्होंने विहित विभागीय प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण किया हो) ।

(5) 6% बिन्दु नं0 2, 22, 42, 62, 82, 92 (सर्वेयर जो सर्वेयर/प्रारूपकारिता (सिविल) में आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र रखते हों) ।

(6) 85% सीधी भर्ती द्वारा निम्न प्रकार से :—

(i) 42% बिन्दु संख्या 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 94, 96 तथा 98 सीधी भर्ती द्वारा सम्बन्धित भर्ती अभिकरण के माध्यम से।

(ii) 22% बिन्दु संख्या 3, 7, 11, 15, 19, 23, 29, 35, 39, 45, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 77, 81, 85, 89, 95, तथा 97 सीधी भर्ती द्वारा विभागीय स्तर पर बैच-वाईज आधार पर ।

(iii) 21% बिन्दु संख्या 5, 9, 13, 17, 21, 27, 31, 37, 43, 47, 53, 57, 61, 95, 69, 73, 79, 83, 87, 91 तथा 95 बैच-वाईज आधार पर उन कनिष्ठ अभियन्ताओं में से जो विभागीय स्तर पर संविदा के आधार पर रखे गये है ।

(रोस्टर बिन्दु प्रत्येक 100 बिन्दु के पश्चात् पुनः दोहराया जायेगा जब तक की सभी प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता प्राप्त न हो जाए उसके पश्चात् रिक्तियां उसी श्रेणी से भरी जाएंगी जिस श्रेणी का पद रिक्त होता है ।

टिप्पण. –यदि प्रवर्ग संख्या (i) का कोई कर्मचारी प्रोन्नति के समय पात्र नहीं है तब इस प्रवर्ग का यह कोटा प्रवर्ग (ii) के कर्मचारियों से भरा जायेगा यदि वे अन्यथा पात्र हों । यदि प्रवर्ग संख्या (ii) का कोई कर्मचारी प्रोन्नति के समय पात्र नहीं है तब इस प्रवर्ग का यह कोटा प्रवर्ग (iii) के पात्र कर्मचारियों से भरा जाएगा यदि वे अन्यथा पात्र हों।

यदि प्रवर्ग (iii) का कोई कर्मचारी प्रोन्नति के समय पात्र नहीं है तब इस प्रवर्ग का यह कोटा प्रवर्ग (iv) के पात्र कर्मचारियों से भरा जाएगा यदि वह अन्यथा पात्र हों।

यदि प्रवर्ग (iv) का कोई कर्मचारी प्रोन्नति के समय पात्र नहीं है तब इस प्रवर्ग का यह कोटा प्रवर्ग (v) के कर्मचारियों से भरा जायेगा यदि वह अन्यथा पात्र हो :

परन्तु यह और भी कि सम्बन्धित प्रवर्ग में कमी को उस प्रवर्ग के पदों से भर कर पूरा किया जाये जिस प्रवर्ग को अधिक कोटा दिया गया है।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तद्र्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तद्र्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया की अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तद्र्थ आधार पर की गई सेवा सहित) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/ पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवम् प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा इनमें से जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/ समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तद्र्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवम् प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु उपर्युक्त यथा निर्दिष्ट तद्र्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

आदेश द्वारा,

हरिन्द्र हीरा,
प्रधान सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. IPH (A)(B)(2)-20/2002, dated 5-6-2004 as required under clause (3) of Article 341 of the Constitution of India*].

IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th June, 2004

No. **IPH(A)(B)(2)-20/2002.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with

the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Irrigation and Public Health Department, Junior Engineer (Civil) Class-III (Non-Gazetted) Technical Services, Recruitment and Promotion Rules, 2002, notified *vide* this department Notification No. PBW(SC)C(A) 3-1/94, dated 29-1-2002, namely : –

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Irrigation and Public Health Junior Engineer (Civil) Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules (Second Amendment) Rules, 2004.

(2) These rules shall come into force from the date of notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure-A.*—(1) For the existing provision against Column No. 10, the following shall be substttuted, namely:—

(*i*) 42% by direct reeruitment through the concerned recruiting agency;

(*ii*) 22% by direct recruitment on batch-wise basis at department level;

(*iii*) 21% by appointmet from amongst the candidates who were/are appointed on contract basis by the Department by adopting proper procedure and who possesses requisite professional qualification from recognised Technical Institutions having 7 years of continuous contract service in Himachal Pradesh Irrigation & Public Health Department if their performance and conduct during service has been found satisfactory:

Provided that for the purpose of appointment under this sub clause the year-wise combined seniority list shall be prepared wherein the cendidate senior in batch in such recruitment year shall be reckoned senior to the candidate who has obtained diploma in Civil Engineering in subsequent batch:

Provided further that where in a recruitment year more than one candidate of the same batch are eligible to be considered for appointment then their *inter* se seniority will be determined with reference to their date of appointment in that recruitment year, or the merit, if any, prepared at the time of making selection for recruitment on contract basis, as the case may be:

Provided further that JEs so appointed under this sub-clause shall be deputed in difficult area sub-cadre; and

(*iv*) 15% by promotion.

(2) For the existing provisions against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

By promotion from amongst the following:—

(*i*) Surveyors having Diploma of atleast three years duration in the trade of Civil Engineering or its equivalent from recognised University or Institute duly recognised by the Central/State Government with atleast 2 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any in the grade .. 3%

(*ii*) Surveyors having an ITI Certificate Course of at least two years duration in the trade of Surveyor/Draftsmanship (Civil) or its equivalent from a recognised ITI or an Institute duly recognised by the Central/State Government with atleast 8 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any in the grade .. 6%

(*iii*) Work Inspector having Diploma of at least three years duration in the grade of Civil Engineering or its equivalent from a recognised University or Institute duly recognised by the Central/State Government with atleast 2 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any in the grade .. 1%

(*iv*) Work Inspector having an ITI Certificate Course of atleast two years duration in the trade of Surveyor/Draftsman (Civil) or its equivalent from a recognised ITI or an Institute duly recognised by the Central/State Government with atleast 8 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any in the grade .. 1%

(*v*) Work Inspectors who are matriculates or possesses its equivalent recognised qualification with atleast 15 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any, in the grade and completed successfully the prescribed Departmental training course of six months duration .. 4%

For the purpose of promotion, the following 100 point roster shall be followed:—

1. 1% point No. 1 (Work Inspector possessing an ITI Certificate in Surveyor/draftsmanship (Civil).

2. 1% point No. 49 (Work Inspector possessing Diploma in Civil Engineering)

3. 3% point No. 33, 66, 99 (Surveyors possessing Diploma in Civil Engineering)

4. 4% point No. 25, 50, 75, 100 (Matriculate Work Inspectors having completed successful the prescribed departmental training course).

5. 6% point No. 2, 22, 42, 62, 82 & 92 (Surveyors posisessing an ITI Certificate in Surveyors/Draftsmanship (Civil).

6. 85% direct recruitment as under:—

(*i*) 42% points No. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 94, 96 & 98 by direct recruitment through concerned recruiting agency.

(*ii*) 22% points No. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 29, 35, 39, 45, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 77, 81, 85, 89, 93 & 97 direct recruitment on batch-wise basis at department level.

(*iii*) 21% point No. 5, 9, 13, 17, 21, 27, 31, 37, 43, 47, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 79, 83, 87, 91 and 95 on batch-wise basis from JE appointed on contract basis at department level.

The roster will be rotated after every 100 point till the representation to all categories is achieved by the given percentage. Thereafter the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.

Note.—If no official from category No. (*i*) is eligible at the time of promotion then the quota meant for this category will be filled up from amongst the officials of category of No. (*ii*) provided they are otherwise eligible.

If no official from category No. (*ii*) is eligible at the time of promotion then the quota meant for this category will be filled up from amongst the officials of category of No. (*iii*) provided they are otherwise eligible.

If no official from category No. (*iii*) is eligible at the time of promotion then the quota meant for this category will be filled up from amongst the officials of category of No. (*iv*) provided they are otherwise eligible.

If no officials from category No. (*iv*) is eligible at the time of promotion the quota meant for this category will be filled up from amongst the officials of oategory of No. (v) provided they are otherwise eligible:

Provided further that the shortfall of the concerned category may be met-out by filling up of the post of that category to whom an excess quota has been given.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion :

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh State Non-Technoail Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder:

(2) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if *ad hoc* appointment/promotion against such post had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment & Promotion Rules :

Provided that *inter se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service as referred to above shall remain unchanged.

By order,
HARINDER HIRA,
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित